

6/7/15

वकील नादी उपस्थित। वादी वकील ने निवेदन किया
की मे वाद को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ अतः वादी
की ओर से खिदाफत फैरनी नहीं है वाद को (नोट प्रेस) करना
है वकील वादी के निवेदन कर काफ़ी नहीं चलाने से
वाद को नोट प्रेस करने से खारिज किया जाता है पत्रावली
द्वारा शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तत्काल खतर
दार बन है।

उपस्थित अधिकारी
नया (कानपुर)

